ग्राम पंचायत धमेटा, विकास खण्ड फतेहपुर जिला काँगड़ा, हि॰ प्र॰ –176025 के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01/04/2021 से 31/03/2023

भाग–एक

1. **(क)प्रस्तावना**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत धमेटा, विकास खण्ड फतेहपुर, जिला काँगड़ा हि0 प्र0 के अवधि 01/04/2021 से 31/03/2023 के लेखों का अंकेक्षण हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा प्रथम बार किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान, सचिव, तकनीकी सहायक व ग्राम रोजगार सेवक कार्यरत रहे :–

प्रधानः–

क्र॰स॰	नाम	अवधि
1	श्रीमती कविता शर्मा	01.04.2021 से 31.03.2023

सचिव :–

क्र॰स॰	नाम	अवधि
1	श्री सुशील कुमार	01.04.2021 से 31.03.2023

तकनीकी सहायक :–

क्र॰स॰	नाम	अवधि
1	श्री कृष्ण कुमार	01.04.2021 से 05.06.2022
2	श्री अनिल कुमार	06.06.2022 से 31.03.2023

ग्राम रोजगार सहायक :–

क्र॰स॰	नाम	अवधि
1	श्री शशि कांत	01.04.2021 से 31.03.2023

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः–

ग्राम पंचायत धमेटा के अवधि 01/04/2021 से 31/03/2023 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से हैः–

क्र0 सं0	पैरा सं॰	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1	4(ग)	रोकड़ बही व बैंक के अन्त शेषो में अन्तर पाया जाना	0.03
2	6.1	अनुदान राशि का उपयोग हेतु शेष पाया जाना	31.59
3	7.1	पंचायत राजस्व का वसूली हेतु शेष पाया जाना	0.19
4	8.1	क्रय किये गये सामान की स्टॉक रजिस्टर में स्टॉक प्राप्ति व खपत दर्ज न करना	0.42
5	8.2	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना स्टॉक का क्रय करना	1.33
6	8.3	खनन सामग्री के आपूर्ति बिलों के समर्थन में नियमानुसार अपेक्षित अभिलेख की अनुपस्थिति में रॉयल्टी की कटौती न करने के फलस्वरूप सम्भावित राजस्व हानि	0.30
7	9	निर्माण कार्य पक्की नाली मौहल्ला चौधरियां के लिये मूल्यांकित राशि से अधिक भुगतान करना	0.09

भाग–दो

2. वर्तमान अंकेक्षणः–

ग्राम पंचायत धमेटा के अवधि 01/04/2021 से 31/03/2023 के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण श्री प्रवीन कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 28.02.2024 से 06.03.2024 तक ग्राम पंचायत के कार्यालय में किया गया। आय व्यय की विस्तृत जाँच हेतु मास चयन निम्न तालिका के अनुसार स्वः स्त्रोतों की आय तथा पंचायत के कुल व्यय के आधार पर किया गयाः–

वर्ष	आय	व्यय
2021—22	04 / 2021	03 / 2022
2022—23	05 / 2022	07 / 2022

अस्वीकरणः—वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना / अभिलेख के अपूर्ण / गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

3. अंकेक्षण शुल्कः—

ग्राम पंचायत के अवधि 01 / 04 / 2021 से 31 / 03 / 2023 के लेखों का अंकेक्षण शुल्क ₹4800 / — आंका गया है। अंकेक्षण शुल्क की उक्त राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट / मल्टीसिटी चैक के माध्यम से निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला—171009 को शीघ्रातिशीघ्र प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा / अ.वृ.का. / 2024 / —103 दिनांक 06.03.2024 द्वारा पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया।

4.1 (क).वित्तीय स्थितिः—

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग / अ.वृ.का. / 2024 / —90 दिनांकः 28.02.2024 की अनुपालना में प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.2021 से 31.03.2023 के लेखों की वित्तीय स्थिति का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट—1** में भी दिया गया हैः—

1.स्वः—स्त्रोतः—

अवधि	अथशेष	प्राप्ति	योग (कॉलम 2+3)	व्यय	अन्तशेष (कॉलम 4—5)
1	2	3	4	5	6
2021-22	662310.00	250119.00	912429.00	98382.00	814047.00
2022-23	814047.00	1008679.00	1822726.00	173649.00	1649077.00

2.अनुदानः–

अवधि	अथशेष	प्राप्ति	योग (कॉलम 2+3)	व्यय	अन्तशेष (कॉलम 4–5)
1	2	3	4	5	6
2021-22	3928622.00	2951999.00	6880621.00	3150429.00	3730192.00
2022-23	3730192.00	4547630.00	8277822.00	5118638.00	3159184.00

कुल योग (1+2) 1649077.00 +3159184.00 **=4808261**

(ख) बैंक समाधान विवरणीः–

ग्राम पंचायत की दिनांक 31.03.2023 को रोकड़ बही/वित्तीय स्थिति से ₹48,08,261/- तथा बैंक खातों/हस्तगत राशि **परिशिष्ट–2.1** के अनुसार के अन्तशेष ₹48,05,591/– से सम्बन्धित बैंक समाधान विवरणी निम्नानुसार हैः–

	बैंक खातों की विवरणीः–			
क्र	विवरण	बैंक	खाता	अन्त शेष (₹)
1	स्वःस्त्रोत	का•के•सह•बैंक धमेटा	20022004308	1642329
2	5वां वितायोग	का•के•सह•बैंक धमेटा	50051142331	48288
3	टी•एस•सी	का•के•सह•बैंक धमेटा	50051142670	0
4	वी•के•वी•एन•वाई	का•के•सह•बैंक धमेटा	50051142444	193
5	एस•डी•पी	का•के•सह•बैंक धमेटा	50058165395	12201
6	एम•पी•लेड	का•के•सह•बैंक धमेटा	50051142502	16090
7	एम•एम•जी•पी•वाई	का•के•सह•बैंक धमेटा	50051694723	2456
8	पी•एस	का•के•सह•बैंक धमेटा	50051142295	20575
9	जेड•पी	का•के•सह•बैंक धमेटा	50051142716	118175
10	14वाँ वित्तायोग	का•के•सह•बैंक धमेटा	50062990139	52974
11	15वाँ वित्तायोग	का•के•सह•बैंक धमेटा	50071814493	2888232
12	हस्तगत शेष			4078
बैंक खातों व हस्तगत शेष का दिनांक 31.03.2023 का कुल योगः–				₹4805591
दिनांक 31.03.2023 को बैंक समाधान विवरणी :–				
रोकड़ बही के आधार पर तैयार वित्तीय स्थिति के अनुसार (पैरा 4) अन्तशेषः–				₹4808261
पंचायत के बैंक खातों का दिनांक 31.03.2023 का अन्तशेषः–				₹4805591
अन्तरः–				**2670**

नोटः– अंतर का कारण पंचायत द्वारा बैंक समाधान विवरणी तैयार न करना।

(ग) रोकड़ बही का बैंक खातों के साथ नियमानुसार मिलान न करने के कारण ₹0.03 लाख का अन्तरः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत धमेटा द्वारा हि॰ प्र॰ पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 7(3) व 10(1) की अनुपालना में बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं की गई थी ,जिस कारण वर्तमान अंकेक्षण अवधि के अन्त में दिनांक 31.03.2023 को रोकड़ बही तथा बैंक खातों के अन्तशेष में राशि ₹2670/- का अन्तर रोकड़ बही में अधिक शेष के रूप में था, जिसका विस्तृत ब्यौरा पैरा–4 में दिया गया है।

इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/94 दिनांकः–04.03.2024 द्वारा अनुरोध किया गया। जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–जी.पी/ऑडिट/03 दिनांक 06.03.2024 द्वारा सूचित किया गया कि बैंक समाधान विवरणी तैयार करके अन्तर का मिलान कर दिया जायेगा। प्रस्तुत उत्तर तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः इस अनियमितता बारे तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए वर्तमान में अन्तर का शीघ्रातिशीघ्र मिलान करके अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार प्रत्येक माह बैंक समाधान विवरणी तैयार करके तथा बैंक एंव रोकड़ बही का मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाये ।

(घ) लेखा खाता /खाता बही तैयार न करनाः–

हि॰ प्र॰ पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 29(1 से 3) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को प्रारूप–7 में लेखा खाता/खाता बही तैयार करने का प्रावधान है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि अंकेक्षण अवधि की खाता बही/लेखा खाते तैयार नहीं किए गए थे। अंकेक्षण अवधि की खाताबही/लेखा खाते तैयार न करने के कारण वर्तमान अंकेक्षण के दौरान चयनित मास के वाउचरों के अवलोकन करने पर इस तथ्य की पुष्टि सम्भव न हो सकी

कि निम्न तालिका में दर्शाए गए कार्यो हेतु कितनी–कितनी राशि प्राप्त हुई व कितना व्यय हुआ है तथा निम्न कार्यो को पूरा किया जा चुका है अथवा नहीं।

अनुदान	वाउचर सं / दिनांक	कार्य का नाम	राशि (₹)
1)14वां वित	22 / 04.03.22	निर्माण ऐम्बुलेन्स योग्य रास्ता जैसी राम के घर से रोणुका का तालाब	68940
2)14वां वित	24 / 08.03.22	निर्माणऐम्बुलेन्स रास्ता आई.टी.आई से रजनीस डोगरा के घर की ओर	159890
3)15वां वित	24 / 18.07.22	निर्माण वाटर डेन नजदीक परदीप पुत्र रोशन लाल	14044
4)14वां वित	27 / 16.03.22	निर्माण शौचाल्य जी.एस.एस.एस धमेटा पृथक–पृथक महिलाएं	42366

यह एक गम्भीर अनियमितता है। इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव़ को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग / अ0वृ0कां / 2024 / 102 दिनांकः 05.03.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः– जी.पी / ऑडिट / 03 दिनांक 06.03.2024 द्वारा अवगत करवाया गया कि वर्तमान समय से खाताबही / लेखा खाते तैयार किये जा रहे हैं। प्रस्तुत उत्तर तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः अंकेक्षण अवधि की खाताबही / लेखा खाते तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा अंकेक्षण अवधि की खाताबही / लेखा खाते तैयार करते हुए भविष्य में भी खाताबही / लेखा खाते तैयार किये जाने सुनिश्चित किये जाये व कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाए।

5 निवेश न करने बारेः–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 11 के अनुसार प्रत्येक पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियो को पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव उपरान्त राष्ट्रीयकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में इस प्रकार से निवेशित किया जाना अपेक्षित है कि इन पर अधिकतम ब्याज अर्जित किया जा सके।

ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना में अंकेक्षण अवधि के दौरान कोई निवेश नहीं किया गया था। जबकि वित्तीय स्थिति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पंचायत के निधि खाते में अंकेक्षणावधि के दौरान ₹6,22,310 से ₹16,42,329 तक की राशि शेष थी। इस चूक के कारण संसाधनो की कमी से जूझ रही पंचायत को अतिरिक्त ब्याज के रूप में होने वाले लाभ से वंचित होना पड़ा है।

इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/102 दिनांकः—05.03.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः— जी.पी/ऑडिट/03 दिनांक 06.03.2024 द्वारा भविष्य में अनुपालना का आश्वासन दिया है।

अतः इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 12 (1) के अंतर्गत उल्लेखित प्रारूप—1 के अनुसार निवेश रजिस्टर का संधारण किया जाना भी सुनिश्चित किया जाये।

6.1 अनुदान की राशि ₹31.59 लाख का उपयोग हेतु शेष पाया जानाः—

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 के अनुसार प्राप्त अनुदान राशियो को फंडिग एजेन्सी की अपेक्षाओं एवं मार्गदर्शन अनुसार निर्धारित उद्देश्य हेतु व्यय किया जाना अपेक्षित है।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0 /2024/—90 दिनांकः—28.02.2024 की अनुपालना में प्रस्तुत सूचना जो कि **[redacted]1 व [redacted]2** पर संलग्न है, के अनुसार दिनांक 31—03—2023 तक अनुदान में प्राप्त राशियों में से ₹31,59,184/— की राशि उपयोग हेतु शेष थीः—

क्र0सं0	अनुदान का नाम	दिनांक	राशि (₹)
1.	5वाँ वित्तायोग	31.03.2023	48288
2.	वी.के.वाई.एन.वाई	31.03.2023	193
3.	एस.डी.पी	31.03.2023	12201
4.	एम.पी.लेड	31.03.2023	16090
5.	एम.एम.जी.पी.वाई	31.03.2023	2456
6.	पी.एस	31.03.2023	20575
7	जेड.पी	31.03.2023	118175
8	14वाँ वित्तायोग	31.03.2023	52974
9	15वाँ वित्तायोग	31.03.2023	2888232
		कुल जोड	**3159184**

उपरोक्त तथ्य स्पष्ट करते हैं कि उक्त शीर्षो के अन्तर्गत करवाये जा रहे विकास कार्यो का निष्पादन अपेक्षित स्थिति में नहीं है तथा सरकार द्वारा निर्धारित विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में यह पंचायत पीछे है। इस राशि के उपयोग/व्यय न करने बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/95 दिनांकः 04.03.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्यः–जी.पी/ऑडिट/03 दिनांक 06.03.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि अनुपयोग अनुदान राशि की सक्षम अधिकारी से स्वीकृति लेकर उपयोग कर लिया जायेगा। अतः अनुदान राशि को अंकेक्षण अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए उक्त राशि को नियमानुसार निर्धारित उद्देश्यों हेतु व्यय करना सुनिश्चित किया जाए तथा तदानुसार कृत अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र अवगत करवाया जाये।

6.2 अनुदान रजिस्टर का रख–रखाव न करना :–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 61(1) के अंतर्गत उल्लेखित फार्म 21 के अनुसार अनुदान रजिस्टर का संधारण किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा अनुदान रजिस्टर का रख–रखाव नहीं किया गया था जिसके अभाव में प्रस्तुत अनुदानों की वित्तीय स्थिति का पूर्ण अंकेक्षण सम्भव न हो सका। अतः भविष्य में नियमों के अनुसार रजिस्टर तैयार एवं अद्यतन (Update) करके समस्त प्राप्त अनुदान व अनुदान राशि से किये गये व्यय का लेखाकंन अनुदान रजिस्टर में करने उपरांत अगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए।

7.1 सम्पति कर/गृहकर की ₹0.19 लाख की राशि का वसूली हेतु शेष पाया जानाः–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 34 (2) के अनुसार पंचायत को देय कोई भी रकम पर्याप्त कारणों के बिना परादेय/अदत्त (outstanding) नहीं रखी जायेगी।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0 /2024/–90 दिनांकः 28/02/2024 की अनुपालना में प्रस्तुत **परिशिष्ट "3"** पर संलग्न सूचना के अनुसार सम्पत्तिकर/गृहकर की मद में ₹19020/– की राशि दिनांक 31.03.2023 को वसूली हेतु शेष थी, जिससे स्पष्ट है कि पंचायत अपने राजस्व की नियमित उगाही के प्रति गम्भीर नहीं है। सम्पत्ति कर/गृहकर की वसूली न करने से उस पर अर्जित ब्याज से होने वाले लाभ से भी पंचायत को वंचित होना पड़ा।

इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0/2024/96 दिनांकः–04.03.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–जी.पी/ऑडिट/03 दिनांक 06.03.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि वर्तमान समय से सम्पति कर/गृहकर की वसूली की जा

रही है तथा वसूली उपरान्त सभा निधि में जमा करवा दिया जाएगा। प्रस्तुत उत्तर तथ्यरहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः पंचायत राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों की तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की वसूली प्राथमिकता के आधार पर प्रतिवर्ष की जानी सुनिश्चित की जाए तथा कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

7.2 विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में राशि ₹850/– का वसूली हेतु शेष पाया जानाः–

सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला की अधिसूचना संख्या–SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांक 04.10.2016 के अनुसार विवाह के पंजीकरण हेतु ₹ 200 (सामान्य) व आई.आर.डी.पी/बी.पी.एल. के लिये ₹ 25 पंजीकरण शुल्क व 30 दिनों के बाद 90 दिनों के भीतर ₹400(सामान्य) से व ₹ 50 आई.आर.डी.पी/बी.पी.एल से प्रति विवाह पंजीकरण शुल्क वसूल करके सरकारी कोष में जमा करवाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान विवाह पंजीकरण शुल्क रजिस्टर के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि निम्न विवरणानुसार 04 विवाह पंजीकृत किये गये थे, जिस हेतु ₹200/400 की दर से कोई राशि नहीं वसूली गई थी, जबकि उक्त वर्णित दरों के अनुसार ₹850 वसूल किये जाने अपेक्षित थे :–

क्र0सं0	नाम	विवाह प.रजि. पृ0स0	विवाह दिनांक	पंजीकरण दिनांक	वसूली योग्य राशि (₹)	वसूली गई राशि (₹)	कम वसूली गई राशि (₹)
1.	अचंल कुमार	शून्य	26.04.21	14.07.21	400	0	400
2	शम्मी कपूर	शून्य	20.07.22	02.09.22	50	0	50
3	मनीष कुमार	शून्य	06.02.23	27.02.23	200	0	200
4	विशाल	शून्य	22.02.23	10.03.23	200	0	200
		योग			**850**	**0**	**850**

उक्त वसूली न करने का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/96 दिनांकः 04/03/2024 के अन्तर्गत सचिव ग्राम पंचायत धमेटा के

ध्यानार्थ लाया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः– जी.पी/ऑडिट/03 दिनांक 06.03.2024 द्वारा अवगत करवाया गया कि बकाया विवाह पंजीकरण शुल्क की वसूली करके सरकारी कोष में जमा करवा दी जायेगी।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत उक्त देय राशि की वसूली अविलम्ब करते हुये सरकारी कोष में जमा करवाना सुनिश्चित की जाए तथा कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

7.3 विवाह पंजीकरण के रूप में वसूली गई राशि को सरकारी कोष में जमा न करवाने बारेः–

सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला की अधिसूचना संख्या–SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांक 04.10.2016 के अंतर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क निर्धारित दर से प्राप्त की जानी अपेक्षित है तथा जिसे समय–समय पर वसूल करने के उपरान्त विवाह पंजीकरण अधिनियम 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित प्राप्ति मुख्य शीर्ष खाता संख्या "0235–00–800–03" में जमा करवाया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत धमेटा द्वारा वर्ष 2021–22 व 2022–23 के दौरान विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में निम्न विवरणानुसार वसूली गई राशि को सरकारी कोष में जमा नहीं करवाया गया थाः–

क.संख्या	वित्तीय स्थिति	विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि
1.	2021–22	7650
2	2022–23	3675
	योग	**11325**

उक्त विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि को सरकारी कोष में जमा न करवाने का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/96 दिनांकः–04.03.2024 के अंतर्गत सचिव ग्राम पंचायत धमेटा के ध्यानार्थ लाया गया, जिसके प्रतिउत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः– जी.पी/ऑडिट/03 दिनांक 06.03.2024

द्वारा स्पष्ट किया गया कि विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि सरकारी कोष में जमा करवा दी जाएगी।

अतः उक्त एकत्रित राशि को सरकारी कोष में जमा न करवाने का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अथवा अंकेक्षण को दिये गये आश्वासनानुसार विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि को शीघ्र अति शीघ्र सरकारी कोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व कृत अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

8.1 क्रय किये गये सामान राशि ₹ 0.42 लाख का स्टॉक रजिस्टर में स्टॉक प्राप्ति व खपत से सम्बन्धित लेखांकन न होनाः–

हि॰प्र॰ पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 72(1) (ए.बी.सी.डी.) के अनुसार पंचायत द्वारा क्रय किये गए भंडार का उसकी स्थायी व अस्थायी प्रकृति के अनुरूप प्रारूप 25,26,27 व 28 में लेखांकन किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत धमेटा के अवधि 01.04.2021 से 31.03.2023 तक के दौरान की गई खरीद के वाउचरों के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा **परिशिष्ट–"4"** पर संकलित राशि ₹41,763/– के स्टॉक को क्रय उपरान्त स्टाक रजिस्टरो में दर्ज नहीं किया गया था, जिससे क्रय हेतु कृत व्यय का पूर्ण अंकेक्षण संभव न हो सका।

इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0/2024/100 दिनांकः05.03.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः– जी.पी/ऑडिट/03 दिनांक 06/03/2024 द्वारा अवगत करवाया गया कि वर्तमान समय से स्टॉक प्रविष्टियां की जा रही है। प्रस्तुत्त उतर तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः क्रय किये गये प्रत्येक सामान का इन्द्राज किया जाना सुनिश्चित किया जाए व भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता की पुनरावृत्ति को रोका जाये तथा कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को शीघ्रातिशीघ्र अवगत करवाया जाये।

8.2 निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹1.33 लाख के स्टॉक का क्रय करनाः—

हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) के अन्तर्गत पंचायत द्वारा किये जाने वाले व्यय से सम्बन्धित निविदा आदि औपचारिकताएं प्रावधित हैं।

ग्राम पंचायत धमेटा के व्यय वाउचरों के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा **परिशिष्ट—"4"** में दिए गए विवरणानुसार ₹1,32,969/— का व्यय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया था जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है।

उपरोक्त अनियमितत्ता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0/2024/99 दिनांकः 05/03/2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः—जी. पी/ऑडिट/03 दिनांक 06/03/2024 द्वारा सूचित किया गया भविष्य में औपचारिकताओं को पूर्ण करके सामान क्रय किया जायेगा। प्रस्तुत उत्तर तथ्यों पर आधारित न होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः इस अनियमितता बारे तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुये इसको सक्षम प्राधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाया जाये तथा भविष्य में बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाते हुये नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

8.3 खनन सामग्री के आपूर्ति बिलों के समर्थन में नियमानुसार अपेक्षित अभिलेख की अनुपस्थिति में रॉयल्टी की कटौती न करने के फलस्वरूप सरकारी कोष को ₹0.30 लाख की सम्भावित राजस्व हानिः—

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल नियम 2015 के नियम 81 व 81—ए के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माइनिंग लीज होल्डर द्वारा जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांजिट पास फॉर्म डब्लयू या

सप्लीमेंटरी पास फॉर्म X उपलब्ध करवाना अनिवार्य है अन्यथा उक्त नियम की द्वितीय अनुसूची के अनुसार निर्धारित दरों से रॉयल्टी का भुगतान 25 प्रतिशत पेनल्टी के साथ करना होगा।

ग्राम पंचायत द्वारा **परिशिष्ट–"5"** पर संलग्न चुनिंदा वाउचरों के तहत निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु आपूर्तिकर्ताओं से खनन सामग्री जैसे रेत, बजरी, पत्थर इत्यादि की आपूर्ति पर उक्त ट्रांजिट पास फॉर्म अंकेक्षण में प्रस्तुत नही किए गए थे। परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ता को ₹30150.16 का अनियमित भुगतान किया गया प्रतीत होता है।

इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/101 दिनांकः–05.03.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः– जी.पी/ऑडिट/03 दिनांक 06/03/2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि गत समय में खरीदी गई सामग्री से संबंधित एम फॉर्म को संबंधित संविदाकार से लेकर आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जायेगा अन्यथा ऐसा न होने पर संबंधित संविदाकार/व्यक्ति से ही रॉयल्टी राशि की वसूली करके सरकारी कोष में जमा करवा दी जायेगी। दिया गया उत्तर अंकेक्षणापति के अनुकूल न होने के कारण संतोषजनक नहीं है। क्योंकि ट्रांजिट पास फॉर्म को उपलब्ध न करवाने की स्थिति में आपूर्तिकर्ता को खनन सामग्री की राशि का भुगतान रॉयल्टी की कटौती 25 प्रतिशत पेनल्टी सहित करने के पश्चात किया जाना अपेक्षित था।

अतः उक्त किये गये अनियमित भुगतान को या तो समर्थित अभिलेख सहित न्यायोचित ठहराया जाये अथवा इस प्रकरण को सम्बन्धित विभाग से उठाते हुये तदानुसार कृत अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये अन्यथा इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके हिमाचल प्रदेश सरकार के आय लेखा शीर्षक "0853" नॉन फैरस माइनिंग एवं मेटोलोजिकल इंडस्ट्रीज उप–शीर्ष "102" मिनरल कन्सेशन फीस किराया एवं रॉयल्टीस "81" खनिज फीस रियायत आदि में जमा करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये। पूर्वोक्त मामलों के अतिरिक्त अंकेक्षण अवधि में क्रय की गई निर्माण सामग्री हेतु रॉयल्टी की राशि की

संस्था/विभागीय स्तर पर समुचित गणना कर उसकी भी वस्तुस्थिति अनुसार वसूली उचित स्त्रोत से करके कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

9. 15वें वित्तायोग के अंतर्गत करवाये गये निर्माण कार्य पक्की नाली मौहल्ला चौधरियां के लिये मूल्यांकन राशि से ₹0.09 लाख का अधिक भुगतान करने बारेः–

अंकेक्षण के दौरान 15वें वितायोग के अंतर्गत करवाये गये निर्माण कार्य पक्की नाली मौहल्ला चौधरियां वार्ड–4 की रिकार्ड प्रविष्टियां का अवलोकन करने पर पाया गया कि माप पुस्तिका संख्या 14147 के पृष्ठ संख्या 21–22 पर मुल्यांकित राशि ₹85983 दर्शाई गयी तथा इस कार्य के लिये प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति अनुदान राशि ₹86000 थी। परन्तु उक्त बिल का अवलोकन करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा ₹94503 का व्यय किया गया था जोकि पंचायत द्वारा करवायें गये कार्य की मुल्यांकित राशि से (94503–85983)₹8520/– अधिक था, जिसका विवरण निम्नानुसार हैः–

अनुदान	वाउचर सं/मास	रो0पृ0 स0	विवरण	आपूर्तिकर्ता का नाम	व्यय राशि (₹)
1) 15वां वित	20/18.07.2022	19	Sand=2.5Cu3@1750 Aggr=2.34Cu3@1550	मै0 जनक सिंह प्राईवेट ठेकेदार समकड धमेटा	4375 3627
2) 15वां वित	21/18.07.2022	19	PVC Pipe 5pc@3700 Cast Iron 73.200@120 (Including GST)	मै0 बंसी लाल शर्मा एण्ड सन्स सिहाल फतेहपुर	18500 8784
3) 15वां वित	02/21.03.22	9	Cement 24Bag@344.7	मै0 हि0प्र0 सिविल सप्लाई फतेहपुर	8273
4) 15वां वित	23/18.07.22	19	PVC Pipe 10pc@3700 (Including GST)	मै0 बंसी लाल शर्मा एण्ड सन्स सिहाल फतेहपुर	37000
5) 15वां वित	22/18.07.22	19	मजदूरी व्यय	–	13944
				कुल योग	**94503**

अधिक भुगतान का उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/102 दिनांकः 05/03/2024 के अंतर्गत पंचायत सचिव के ध्यानार्थ

वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः— जी.पी/ऑडिट/03 दिनांक 06.03.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि उपरोक्त कार्य के लिये अधिक भुगतान की गई राशि की संबंधित संविदाकार/व्यक्ति से वसूली कर ली जायेगी तथा संबंधित खाते में जमा करवा दी जायेगी।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत उपरोक्त किए गए अधिक भुगतान की वसूली उचित स्त्रोत से की जानी सुनिश्चित की जाए तथा संबंधित शीर्ष में जमा करवाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण विभाग को अवगत करवाया जाए।

10 निर्माण कार्यों से सम्बन्धित विसंगतियांः—

निर्माण कार्यों से सम्बन्धित वाउचर नस्तियों में उपलब्ध बिल/वाउचरों की नमूना अंकेक्षण जाँच उपरान्त तथा पैरा संख्या 4 (घ) में उद्धित तालिका में दिखाये गये व्यय के अनुसार निर्माण कार्यों के सन्दर्भ में पाया गया कि निर्माण कार्य निष्पादन हेतु हि•प्र• पंचायती राज (वित्त बजट लेखे,संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 में प्रावधित नियमों की अनुपालना नहीं की जा रही थी, इन बिलों में निम्नलिखित विसंगतियां पाई गई हैंः—

1. नियम 96(1) की अनुपालना में अनुभागी/संकर्म समिति नहीं बनाई गई थी जिसके साथ निर्धारित समयावधि के भीतर कार्य निष्पादन हेतु पंचायत द्वारा उक्त नियमावली के "परिशिष्ट – ई" में दिए गए "अनुबन्ध" प्रारूप में अनुबन्ध हस्ताक्षरित किया जाना अपेक्षित था।

2. हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 93 (1) (ए) के अनुसार ग्राम पंचायत को प्रत्येक निर्माण कार्य के निष्पादन हेतु सहभागी समिति का गठन करना अनिवार्य है ताकि निर्माण कार्यो में पारदर्शिता स्थापित की जा सके। अंकेक्षण अवधि के अंतर्गत ग्राम पंचायत धमेटा द्वारा निर्माण कार्यो के निष्पादन हेतु सहभागी समिति का गठन नहीं किया गया व सभी कार्य सहभागी समिति के अनुमोदन के बिना स्वयं करवाए गए है, जोकि पंचायती राज अधिनियम 2002 के अध्याय— ग्यारह के नियम 93 की अवहेलना है।

3. नियम 104(2)(1) तथा 105 की अनुपालना में निर्माण कार्यों की नमूना जाँच मापन पुस्तिका में सम्बन्धित विभागीय उच्च तकनीकी अधिकारियों जैसे कनिष्ठ अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, आदि द्वारा नहीं की गई थी।

4. किसी भी योजना में निर्माण सामग्री आपूर्ती के बिलों को कनिष्ठ अभियन्ता/तकनीकी सहायक द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था जिसके कारण किये गये भुगतान की प्रमाणिकता संदिग्ध हो जाती है।

5. निर्माण कार्यो के बिलों के भुगतान के समय पंचायत द्वारा नियमानुसार टी.डी.एस, रॉयल्टी की अपेक्षित कटौती नहीं की थी।

इन अनियमितताओ बारे अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/102 दिनांकः 05.03.2024 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत धमेटा को अवगत करवाया गया। जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–जी.पी/ऑडिट/03 दिनांक 06/03/2024 द्वारा सूचित किया गया कि वर्तमान समय से इन नियमों की अनुपालना की जा रही है।

अतः उपरोक्त नियमों की अवहेलना किये जाने बारे उचित स्पष्टीकरण के अतिरिक्त भविष्य हेतु नियमानुसार कार्य करना सुनिश्चित किया जाये तथा कृत कार्यवाही से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

11 नियमों की अवहेलना करते हुए महत्वपूर्ण अभिलेखों का अनुरक्षण न करनाः–

हि॰ प्र॰ पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 व हि॰प्र॰ पंचायती राज सामान्य नियम 34 के अंर्तगत प्रावधित महत्वपूर्ण अभिलेख/रजिस्टरों का अनुरक्षण किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/90 दिनांकः 28.02.2024 के क्रमांक 9 में मांगी गई जानकारी के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव कार्यालय पत्र संख्याः– जी.पी/ऑडिट/03 दिनांक 06/03/2024 द्वारा दी गई सूचना तथा पंचायत के लेखों

के नमूना अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्न रजिस्टर/अभिलेखो का पंचायत द्वारा अनुरक्षण नहीं किया गया था अथवा अनुरक्षण में नियमों की अवहेलना की गई थी, जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

क्र0	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	सन्दर्भित नियम
1.	निवेश रजिस्टर	01	12
2.	वर्गीकृत सार	8	29(4)
3.	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	09	30
4.	मासिक बैंक समाधान विवरणी	——	7(3) एवं 10(1) तथा "प्रारूप–5" के आरम्भ में दी गई टिप्पणी
5	वार्षिक बजट नियमों की अवहेलना करते हुये पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर में ही दर्ज किया गया है।	11	37
6	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
7	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)
8	निर्माण कार्य रजिस्टर	....	103
9	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72 (1) ए बी
10	पंचायत प्रतिनिधियों एवं सहायक कर्मचारियों को दिये जाने वाले मानदेय/वेतन का रजिस्टर	....	....
11	निर्माण कार्यों की खण्ड विकास अधिकारी से प्राप्त तकनीकी स्वीकृतियों का रजिस्टर	31	95(1)

उपरोक्त महत्वपूर्ण अभिलेख को अनुरक्षित न किए जाने अथवा अनुरक्षण में नियमों की पूर्ण पालना न करने बारे वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाने के अतिरिक्त अब प्राथमिकता के आधार पर इस अभिलेख का अनुरक्षण किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

12. भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करनाः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम **73** के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा नियमानुसार कभी भी प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था। जिसके बिना वाउचर/बिल विशेष के तहत खरीदी गई सामग्री की भौतिक रूप में उपलब्धता एवं उसकी वर्तमान स्थिति का पता नहीं लगाया जा सका।

अतः समय–समय पर स्टोर/स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न होने से सामग्री विशेष के दुरूपयोग की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। यह एक गंभीर अनियमितता है।

इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/90 दिनांकः 28.02.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः– जी.पी/ऑडिट/03 दिनांक 28/02/2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि भविष्य में भौतिक सत्यापन करवा लिया जायेगा। प्रस्तुत उत्तर तथ्य रहित होने के कारण तर्कसंगत नहीं है।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत इस सन्दर्भ में कृत अपेक्षित सुधारात्मक कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

13 लघु आपति विवरणिकाः– लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा करके विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई।

14 **निष्कर्षः–** लेखों के रख रखाव में हि॰ प्र॰ पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियमों एवं समय–2 पर जारी निर्देशों की पूर्णतः अनुपालना नहीं की जा रही है, जिस कारण से लेखों के रख–रखाव में सुधार हेतु कड़े कदम उठाये जाने की आवश्यकता है।

25 JUN 2024

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2620046

का0/स0
2954-2954

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(2)396/2024–खण्ड–1 दिनाँक, शिमला–09,
प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सभी सम्बन्धित को एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
3 जिला पंचायत अधिकारी काँगड़ा, जिला काँगड़ा, हि0प्र0।
4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड फतेहपुर जिला काँगड़ा (हि0प्र0)।
पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत धमेटा, विकास खण्ड फतेहपुर, जिला काँगड़ा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

25 JUN 2024

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2620046

का0/स0

ANNEXURE -1(पैरा संख्या 4(ख))

FINANCIAL POSITION OF GP DHAMETA FOR THE YEAR 2021-22 & 2022-23

1 OWN SOURCES

YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2021-22	662310.00	250119.00	912429.00	98382.00	814047.00
2022-23	814047.00	1008679.00	1822726.00	173649.00	1649077.00

2 GRANTS-IN-AID

YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2021-22	3928622	2951999.00	6880621.00	3150429.00	3730192.00
2022-23	3730192.00	4547630.00	8277822.00	5118638.00	3159184.00

ANNEXURE -2(पैरा संख्या-6.1)

FINANCIAL POSITION OF GRANTS- IN- AID OF GP DHAMETA FOR THE YEAR 2021-22 & 2022-23

SR.NO	PARTICULARS	YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
1	5TH FC	2021-22	22806	367548.00	390354.00	332400.00	57954.00
		2022-23	57954.00	305597.00	363551.00	315263.00	48288.00
2	TSC	2021-22	430.00	12.00	442.00	0.00	442.00
		2022-23	442.00	3.00	445.00	445.00	0.00
3	VKVNY	2021-22	73.00	4.00	77.00	0.00	77.00
		2022-23	77.00	55116.00	55193.00	55000.00	193.00
4	SDP	2021-22	11514.00	349.00	11863.00	0.00	11863.00
		2022-23	11863.00	338.00	12201.00	0.00	12201.00
5	MPLAD	2021-22	15287.00	464.00	15751.00	0.00	15751.00
		2022-23	15751.00	339.00	16090.00	0.00	16090.00
6	MMGPY	2021-22	2316.00	72.00	2388.00	0.00	2388.00
		2022-23	2388.00	68.00	2456.00	0.00	2456.00
7	PS	2021-22	109663.00	2210.00	111873.00	79957.00	31916.00
		2022-23	31916.00	3449.00	35365.00	14790.00	20575.00
8	ZP	2021-22	228650.00	115717.00	344367.00	238655.00	105712.00
		2022-23	105712.00	65755.00	171467.00	53292.00	118175.00
9	14TH FC	2021-22	2880585.00	159847.00	3040432.00	1748700.00	1291732.00
		2022-23	1291732.00	124432.00	1416164.00	1363190.00	52974.00
10	15TH FC	2021-22	657298.00	1640890.00	2298188.00	85831.00	2212357.00
		2022-23	2212357.00	2948298.00	5160655.00	2272423.00	2888232.00
11	MNREGA	2021-22	0.00	664886.00	664886.00	664886.00	0.00
		2022-23	0.00	1044235.00	1044235.00	1044235.00	0.00

परिशिष्ट-2.1 C पैरा संख्या - 4(ख) में सन्दर्भित)

कार्यालय ग्राम पंचायत धमेटा,विकास खण्ड फतेहपुर,जिला कॉंगड़ा हि0प्र0 176025

बैंक प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत धमेटा के दिनांक 01.04.2021 व 31.03.2023 को बैंक शेषः–

क	अनुदान	बैंक	खाता संख्या	बैंक शेष 01.04.21को	बैंक शेष 31.03.23 को
1	स्वःस्त्रोत	का•के•सह•बैंक धमेटा	20022004308	622310	1642329
2	5वां वितायोग	का•के•सह•बैंक धमेटा	50051142331	22806	48288
3	टी•एस•सी	का•के•सह•बैंक धमेटा	50051142670	430	0
4	वी•के•वी•एन•वाई	का•के•सह•बैंक धमेटा	50051142444	73	193
5	एस•डी•पी	का•के•सह•बैंक धमेटा	50058165395	11514	12201
6	एम•पी•लेड	का•के•सह•बैंक धमेटा	50051142502	15287	16090
7	एम•एम•जी•पी•वाई	का•के•सह•बैंक धमेटा	50051694723	2316	2456
8	पी•एस	का•के•सह•बैंक धमेटा	50051142295	109663	20575
9	जेड•पी	का•के•सह•बैंक धमेटा	50051142716	228650	118175
10	14वॉं वित्तायोग	का•के•सह•बैंक धमेटा	50062990139	2880585	52974
11	15वॉं वित्तायोग	का•के•सह•बैंक धमेटा	50071814493	657298	2888232
	हस्तगत शेष			1408	4078
			कुल जोड.	**4552340**	**4805591**

23

परिशिष्ट –3 (पैरा संख्या "7.1")

कार्यालय ग्राम पंचायत धमेटा,विकास खण्ड फतेहपुर,जिला काँगड़ा हि0प्र0 176025

दिनांक 31–03–2023 को ग्राम पंचायत में वसूली हेतु शेष सम्पति कर/गृहकरः–

पंचायत क्षेत्र के निवासी परिवारों की कुल संख्याः 2021–22 में 1043 तथा 2022–23 में 1043 परिवारों का रु 30/– प्रति परिवार प्रतिवर्ष की दर सेः–

वितीय वर्ष	अथशेष	परिवार	गृहकर वार्षिक दर	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि ₹
2021-22	11220	1043	30	31290	42510	4170	38340
2022-23	38340	1043	30	31290	69630	50610	19020
	नोटः– दिनॉक 31.03.2023 को बकाया सम्पति कर/गृहकर की राशि ₹**19020**/– है।						

परिशिष्ट–"4"(पैरा संख्या –"8.1" व "8.2" में संदर्भित)

ग्राम पंचायत धमेटा विकास खण्ड फतेहपुर, जिला कांगडा हिमाचल प्रदेश ,स्टॉक/स्टोर की कय की गई सामग्री की प्रविष्टियां भंडार पुस्तिकाओं में न करना व औपचारिकताओं को पूर्ण किये विना स्टॉक/स्टोर कय करना।

अनुदान	वो.स. /दिनांक	समाग्री का विवरण	विल.स. /दिनांक	आपूर्तिकर्ता	मात्रा	रेट	राशि ₹	टिप्पणी
1. Own Source	37/14.03.22	Misc. Exp	1324/11.02.22	M/S Bansi Lal Sharma &Sons Sihal	—	—	2094	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
2. Own Source	38.14.03.22	laptop Ram,Window Repair	242/02.03.22	M/S Munish Khan Dhameta Road Fatehpur	—	—	4100	स्टॉक प्रविष्टि व निविदाये प्रस्तुत नहीं की गई
3. Own Source	45/29.03.22	Piller Heater	08/28.01.22	M/s Pathania Enterprises Jara	—	—	2600	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
4. Own Source	46/29.03.22	Sign Board Writting	2264/15.03.22	M/S Shah Mohsmmad Dhameta	—	—	3500	निविदाये प्रस्तुत नहीं की गई
5.14TH FC	23/04.03.22	Cutting& Dressing (18%GST)	35/10.02.22	M/S Krishna Enterprises Sihal	25.40 Hours	1100	32969	स्टॉक प्रविष्टि व निविदाये प्रस्तुत नहीं की गई
6.14TH FC	29.3,29.4/21.03.33	Iron Benches (18%GST)	78,74/19.03.33,20.03.22	M/S Mahakaal Traders Trilokpur	12	7700	92400	दो निविदाये प्रस्तुत की गई
						G/Total	137663	

नोट: 1. क्रम संख्या 1, 2, 3 व 5 की स्टॉक प्रविष्टियां प्रस्तुत नहीं की गई।
2. क्रम संख्या 2, 4, 5 व 6 की औपचारिकतायें पूर्ण नहीं किया गया।

परिशिष्ट– "5" (पैरा संख्या -8.3" से सम्बन्धित)

ग्राम पंचायत धमेटा, खनन सामग्री के आपूर्ति बिलों से रायल्टी की कटौती न करने से राजस्व हानि

Name of Supplier	Vr. No. & Date	Bill No. & Date	Name of Item	Qty. (cum)	Determining Fator	Qty. (in MT.)	Royality (Per MT.)	Due Royality
				1.14TH FC				
M/s Janak Singh Pvt.Cont. Samkar	25.1,25.02/08.03.22	128,129/10.01.22,11.01.22	Sand	16.000	1.62	25.920	80	2073.60
			Bajri	33.000	1.52	50.160	80	4012.80
			Stone	15.000	2.24	33.600	80	2688.00
							Total	8774.40
				2.15TH FC				
do	20/18.07.22	146/08.05.22	Sand	2.500	1.62	4.050	80	324.00
			Bajri	2.340	1.52	3.5568	80	284.54
do	24/18.07.22	149/25.05.22	Sand	2.180	1.62	3.532	80	282.53
			Bajri	4.130	1.52	6.278	80	502.21
							Total	1393.28
				3.MNREGA				
do	15/01.07.22	119/17.12.21	Sand	16.000	1.62	25.920	80	2073.60
			Bajri	8.780	1.52	13.3456	80	1067.65
do	17/01.07.22	121/02.01.22	Sand	7.000	1.62	11.340	80	907.20
			Bajri	14.000	1.52	21.280	80	1702.40
do	10/21.07.22	130/02.02.22	Sand	8.000	1.62	12.960	80	1036.80
			Bajri	16.000	1.52	24.32	80	1945.60
do	20/01.07.22	126/10.01.22	Sand	7.000	1.62	11.340	80	907.20
			Bajri	14.000	1.52	21.280	80	1702.40
do	22/01.07.22	123/02.0122	Sand	7.000	1.62	11.340	80	907.20
			Bajri	14.000	1.52	21.280	80	1702.40
							Total	13952.45
							Total(1+2+3)	24120.13
							25% Penalty	6030.03
							G.Total	30150.16

Verified